(c) what would be the outcome of this scheme and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग

3748. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा स्तर के कितने अधिकारियों के संवर्ग में परिवर्तन किया गया है;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं और उनके संवर्ग में परिवर्तन किये जाने का आधार क्या था; और

(ग) क्या इस संबंध में भारत सरकार की कोई निर्धारित नीति है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अन्तर्संवर्गीय स्थानान्तरण की अनुमति अखिल भारतीय सेवा के विभिन्न संवर्गों के दो अधिकारियों की शादी के आधार पर दी जाती है। संवर्गीय स्थानान्तरण की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसा करने से स्थानान्तरण लेने वाला अधिकारी अपने मूल राज्य में स्थानांतरित न हो। उत्तर पूर्व एवं जम्मू तथा कश्मीर संवर्गों को आबंटित एकल महिला अधिकारियों के मामले में स्थिति आपवादिक है, क्योंकि उन्हें अपने मूल राज्य को छोड़कर किसी और संवर्ग में स्थानांतरण की अनमति

विवरण

परीक्षा का वर्ष	सेवा	कितने अधिकारी स्थानांतरित किए गए
1990	भा०प्र०से०	12
	भा०पु०से०	2
1991	भा०प्र०से०	11
	भा०पु०से०	5
1992	भा०प्र०से०	8
	भा०पु०से०	4

वर्ष और स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के नाम	सेवा	आधार
1990		
1. अमिता प्रसाद	भा०प्र०से०	विवाह
2. गौरी सिंह	भा०प्र०से०	विवाह
3. संजीव कौशल	भा०प्र०से०	अधिकरण के आदेश
4. सुनील पौड़वाल	भा०प्र०से०	चिकित्सा
5. समीर सिंह चन्देल	भा०प्र०से०	विवाह
6. जी०वी०सी० सरमा	भा०प्र०से०	विवाह
7. जय श्री मुखर्जी	भा०प्र०से०	विवाह

1	2	3
8. रेणू शर्मा	भा०प्र०से०	विवाह
9. मनोज सोनिक	भा०प्र०से०	विवाह
10. वरेन्द्र कुमार	भा०प्र०से०	अधिकरण के आदेश
11. एस० के० सन्धू	भा०प्र०से०	अधिकरण के आदेश
12. रवनीत कौर	भा०प्र०से०	अधिकरण के आदेश
13. नन्द कुमार सरवादे	भा०प्र०से०	विवाह
14. बी० राधिका	भा०प्र०से०	विवाह
1991		
1. अंशुली आर्य	भा०प्र०से०	विवाह
2. वसुधा शर्मा	भा०प्र०से०	विवाह
3. वी० कुलश्रेष्ठा	भा०प्र०से०	विवाह
4. जी० जयश्री	भा०प्र०से०	एकल महिला अधिकारी को उत्तर-पूर्वी और जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में आवंटन की नीति के अन्तर्गत
5. इशिता राय	भा०प्र०से०	विवाह
6. कुसुमजीत सिद्धू	भा०प्र०से०	उत्तर-पूर्वी और जम्मू कश्मीर पर नीति के अन्तर्गत
7. एस० अपर्णा	भा०प्र०से०	
8. ए०वी० चतुर्वेदी	भा०प्र०से०	विवाह
9. मैत्रेयी दास	भा०प्र०से०	अनुकम्पा के आधार पर
10. आई० रत्नी कुमुदिनी	भा०प्र०से०	अनुकम्पा के आधार पर
11. वी० के० जेना	भा०प्र०से०	उत्तर-पूर्वी और जम्मू-कश्मीर की नीति के अन्तर्गत
12. अजय कुमार	भा०पु०से०	विवाह
13. टी०सुनील कुमार	भा०पु०से०	विवाह
14. अर्चना एस० सेंदिवाल्ला	भा०पु०से०	विवाह
15. सुषमा सिंह	भा०पु०से०	विवाह
16. सुधांशु चन्दर	भा०पु०से०	विवाह
1992		
1. एस० ए० टागड़े	भा०पु०से०	अनुकम्पा के आधार पर
2. आरती ऋषि	भा०प्र०से०	विवाह
3. अर्चना अग्रवाल	भा०प्र०से०	विवाह
4. सुधीर गर्ग	भा०प्र०से०	विवाह
5. सौरभ गर्ग	भा०प्र०से०	विवाह
6. वन्दना गुरानी	भा०प्र०से०	विवाह
7. आर०एन० गुप्ता	भा०प्र०से०	अनुकम्पा के आधार पर
8. मीना आहूजा	भा०प्र०से०	उत्तर-पूर्वी और जम्मू-कश्मीर की नीति के अन्तर्गत
9. तिलोत्तमा वर्मा	भा०पु०से०	विवाह

1	2	3
10. वी॰के॰ भावरा	भा॰पु॰से॰	विवाह
11. राजीव रंजन वर्मा	भा॰पु॰से॰	विवाह
12. सीमा अग्रवाल	भा॰पु॰से॰	विवाह

भ्रष्टाचार की रोकथाम

3749. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए निवारण, निगरानी और सुधारसानी की एक तीन-सूत्री रणनीति अपनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान इस कार्य में क्या प्रगति हुई है और कितने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) और (ख) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक त्रि-सूत्री कार्यप्रणाली अर्थात् निवारक, निगरानी सुधारसानी तथा निवारक दण्डात्मक कार्यवाई अपनाई है। इन नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में विगत की भांति इस वर्ष भी सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधी उपायों पर एक विस्तृत वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी प्रशासनिक एककों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अपने नियन्त्रणाधीन अन्य कार्यालयों द्वारा उक्त कार्य योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और साथ ही इसके कार्य-निष्पादन का उच्चतम स्तर पर आवधिक पुनरीक्षण करें। चूंकि यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा उपेक्षित कार्रवाई मंत्रालयों/विभागों तथा सम्पूर्ण देश में उनके नियंत्रणाधीन सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जाती है अतः अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाई का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

Central Vigilance Commission as a statutory body

3750. DR. SANJAYA SINH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to make the Central Vigilance Commission a Statutory body; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (b) No, Sir. There is no such proposal under consideration of Government.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार

3751. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के अधीन उपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और उनमें से कितने अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में सजा के रूप में अधिकारियों का केवल स्थानांतरण मात्र कर दिया जाता है; और

(घ) भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (घ) हालांकि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के नियंत्रण में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है तथापि इस मंत्रालय के तत्वाधान में कुछ निजीकृत सोसायटियां कार्य कर रही हैं, जिनमें से केवल एक अर्थात केन्द्रीय भंडार के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिक कीमत लेने के सात मामले पाए गए हैं। केन्द्रीय भंडार द्वारा इन मामलों में 8 कर्मचारियों के विरुद्ध वेतन-वृद्धि रोकने की शास्ति लगायी गयी है। फिर भी उपर्युक्त सभी संगठन उन क्षेत्रों पर लगातार नजर रखते हैं जहां भ्रष्टाचार की संभावना होती है और इससे सम्बन्धित उपयुक्त निवारक कदम उठाते हैं। भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें, यदि कोई हों मिलने पर उनकी जांच की जाती है और जहां भी आवश्यक समझा जाता है। दोषी अधिकारियों की विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।